कार्यालयः–मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./3क(2)/ 162 /30 प्रति. पदोन्नति/2018–19/दिनांक 22/05/18

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 के भाग–5 (भर्ती प्रक्रिया) के प्रस्तर–16(1) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत विज्ञप्ति वर्ष 2017 के क्रम में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवायें–2 /4785/एल.टी.पदों./2017–18/दिनांक 10 मई, 2017 एवं पत्रांक/सेवायें–2/39181/सी.भ./2017–18/ दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा.वि. /सहायक अध्यापक रा.उ.प्रा.वि. एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय से, जो समान वेतनक्रम में कार्यरत हों, को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम **(वेतनमान– 142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07)** में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या–07 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये मौलक रूप से पदोन्नति प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षकाओं की स्नातक वेतनक्रम में ज्येष्ठता निर्धारण इस सूची के आधार पर नहीं की जायेगी, अपितु नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार पृथक से निर्धारित की जायेगी। **औपबन्धिक श्रेणी के शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस कार्यालय द्वारा उनके मूल शैक्षणिक/प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त उनका औपबन्धन समाप्त कर उन्हें पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की अनुमति पृथक से प्रदान की जायेगी। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी।**

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	पदोन्नत/ पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
विषय–संस्कृत (सामान्य शाखा)							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वीरेन्द्र सिह पंवार, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. खरीक टांटरी	द्वारीखाल	पौड़ी	04.10.1985	रा.इ.का. डांग कड़ाकोट (कीर्तिनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती शान्ति भट्ट, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. मठ उप्पू	थौलधार	टिहरी	09.10.1986	रा.इ.का. लंगासू (कर्णप्रयाग) चमोली	औपबन्धिक
3	श्रीमती आशा भण्डारी, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. डौर	नरेन्द्रनगर	टिहरी	15.10.1984	रा.उ.मा.वि. गंधारी (अगस्त्यमुनि) रूद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती सरिता बडोनी स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. गाजणा पाली	चम्बा	टिहरी	28.10.1987	रा.उ.मा.वि. डांगी भरदार (जखोली) रूद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती सरस्वती पैन्यूली, स.अ.	रा.क.उ.प्रा.वि. आराकोट	चम्बा	टिहरी	29.11.1988	रा.इ.का. कठूड़ हिन्दाव (भिलंगना)	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
विषय–संस्कृत (महिला शाखा)							
1	श्रीमती जगदम्बा पंवार, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. कुरोली	भटवाडी	उत्तरकाशी	11.12.1988	रा.बा.इ.का. उत्तरकाशी (भटवाड़ी) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

21.5.18

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ.सं./सेवा.अराज./3क(2)/ 4414-63 /30 प्रति. पदोन्नति/2018–19/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

6- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं के कार्यभार ग्रहण की सूचना प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

7- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)

8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (**www.schooleducation.uk.gov.in.**) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्ति की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।

10- सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।

11- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

12- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को (सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रा. शि. के माध्यम से) इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली–भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें:–

(क)– सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख)– चयन वर्ष की प्रथम तिथि को न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण की हों तथा वर्तमान में वेतनमान– 142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07 में कार्यरत हों।

(ग)– शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में बी.एड. उपाधि या समकक्ष डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

13- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से शीतकालीन विद्यालयों में 15 दिनों के अन्तर्गत एवं ग्रीष्मकालीन विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के पश्चात 15 जुलाई, 2018 तक पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।

14- एम.आई.एस. प्रभारी, कार्यालय–महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से कि उक्त सूची को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करें।

15- कार्यालय आदेश पंजिका।

21.5.18

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी